अनुबंध

भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के निमित्त आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी_____राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____जिला/मंडल_____ ग्राम/शहर_____ के निवासी हैं जो _____ समुदाय के हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के दिनांक _____के संकल्प संख्या _____के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।* श्री/श्रीमती/कुमारी _____ तथा उनका परिवार समान्यतया_____राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के _____जिला/मंडल के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.1993** के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) की श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।**

जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि

दिनांक

मोहर

---

*प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के ब्योरों का उल्लेख करना है जिसमें उम्मीदवार की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।

** समय-समय पर यथासंशोधित

टिप्पणीः- यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतया" का वही अर्थ होगा जो अर्थ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।